

02/08/23

धर सघ का कार्य स्यांगत है श्री मान PO साहब ~~34/08/23~~ का कार्य में 02/08/23 को पेश है।

07/08/23

वादिया व वादिया अधिकता उपस्थित नहीं। वादिया व वादिया अधिकता को रुक-रूक कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादिया का वापपत्र अन्तर्गत धारा 539A, 183 RTA अदम पेशवी, अदम लापरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर बम्बर से कम होकर वाखिल फुतर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भिकापपुर